न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 97 / 2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.07.2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 162

वादीगण :—

1. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
2. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
3. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. गणपतसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
2. जब्बरसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
3. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
4. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
5. भगवतसिंह पुत्र नाहरसिंह नाऔलाद अविवाहित फौत के कायम मुकाम

5.1 बुद्वकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि अभयसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डीया खुर्द तहसील रायपुर जिला ब्यावर

5.1 कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी बीजागुडा तहसील रोजत जिला पाली

5.3 श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि प्रेमसिंह जति राजपूत निवासी गरनीया तहसील जैतारण जिला ब्यावर

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर जिला ब्यावर राज.
7. उप पंजीयन अधिकारी महोदय, रायपुर जिला ब्यावर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी

2 श्री भूपैन्द सैन प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (01,02)एवं श्री जसवंत सिंह सांखला प्रतिवादीगण संख्या 03 से 05 उपस्थित

निर्णय **दिनांकः 12.08.2024**

वादी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कपूरडी पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू. अभि. नि. क्षैत्र रायपुर तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1876 रकबा 1.1493 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, 1879 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा 1987 रकबा 1.3759 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्ल भूमि हैं। उपरोंक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से जाना जावेंगा। उपरोक्त वर्णित आराजियात के खाता संख्या 55 के खसरा संख्या 1876 वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 2 की शामलाती आराजियात चली आ रही है तथा उपरोक्त आराजियात में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज जमाबंदी है, तथा खाता संख्या 54 के खसरा संख्या 1879 व 1987 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की शामलाती आराजियात चली आ रही है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है, तथा इसी हक हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से व कब्जा अनुसार अलग अलग हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण अपने हिस्से में आई आराजियात में संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त, हित, अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य ... उपभोग अनवरत रूप से सभी प्रतिवादीगण की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात राजस्व रेकर्ड में आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है । उपरोक्त आराजियात का मौके पर ... बंटवारा हो रखा है परन्तु आज दिवस तक राजस्व रेकर्ड में कोई बंटवारा नहीं ... है जिससे आये दिन वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 के मध्य विवाद होते रहते है। इस कारण वादीगण उक्त आराजियात को संयुक्त नहीं रखना चाहता है तथा उक्त आराजियात के पारिवारिक बंटवारे अनुसार कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 कों अपना अपना हिस्सा अलग करवाने का निवेदन कर चुके है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायतम 5 द्वारा टालमटोल

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

किया जा रहा है, इस हेतु वादीगण न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा समय समय पर अपने हक हिस्से की आराजियात में काफी समय, श्रम एवं धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बीज डालकर उन्हे समतल कराकर काश्त योग्य बनाया तथा उसमे काफी विकास एवं विस्तार किया है जिसकी वजह से उक्त आराजियात काफी उन्नत, उपजाऊ एवं कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो से जमीन जायदादों की कीमतों मे हो रही बेशुमार वृद्धि की वजह से भी उक्त आराजियात की कीमतों मे भारी वृद्धि हुई है तथा उक्त आराजियात और अधिक कीमती हो चुकी है। प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 दिनांक 18/06/2024 को वादग्रंस्त आराजियात पर आये और वादीगण के साथ लडाई झगडा करते हुए वादीगण को बेदखल करने तथा कब्जा करने की कोशिश करने लगे। किंतु वादीगण के भरसक विरोध के कारण वे इसमें सफल नहीं सकें। किंतु प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 ने वादीगण को धमकी दी कि अभी तो हम जा रहे है, लेकिन हम कुछ दिनों में अवकाश का फायदा उठाकर इस पूरी आराजियात पर अपना कब्जा करके वादीगण को बेदखल कर देंगे तथा इसमें तोडफोड एवं निर्माण करते हुए इसके स्वरूप में ही परिवर्तन कर देंगे। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में अब कानूनन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूरी, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद में वर्णित आराजियात मे वादीगण के शामलाती कब्जाशुदा हक हिस्से में ना तो आवे, ना ही उसमे चले आ रहें वादीगण के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न करे, ना ही उसमे किसी तरह का कोई दखल व/या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कब्जा करे, ना ही वादीगण को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही बेदखल करे, ना ही कब्जा करने/कराने का प्रयास करे, ना ही उसमे वादीगण को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने/प्राप्त करने से रोके, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण, रद्दोबदल, कारतामीरात आदि ही करे, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करे, ना ही उसमे कोई नुकसान पहुंचावे, ना ही उक्त भूमियों अथवा उसके किसी भाग को बिना बंटवारा करवाये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करे, ना ही बेचान करे, ना ही बेचान का इकरार करे, ना ही कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त करे, ना ही बेचान बाबत किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख निष्पादित करे, ना ही उसे पंजीकृत करावे, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों मे काबिज करवाने का प्रयास करे, ना ही किसी अन्य के नाम कोई नामांतरकरण करवावें तथा ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों। चूंकि प्रतिवादीगण उक्त भूमियों को बिना बंटवारा करवाये अन्य को बेचान करके अन्य के नाम नामांतरकरण करवाने पर आमादा है अतः आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी नंबर 6 व 7 को भी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नंबर 6 व 7 को भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 द्वारा स्वयं अथवा मुखत्यार आम अथवा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में बिना बंटवारा करवाये किसी भी आश्य का कोई नामांतरकण आवेदन पेश किये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांतरकरण नही करे, तथा न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेंज पंजीयन करावें। यदि प्रतिवादीगण को निषेधित नहीं किया गया तो वे वादीगण को उक्त भूमियों से बेदखल करके उक्त भूमियों को अन्य को बेचान कर देंगे तथा अन्य को काबिज भी करवा देंगे तथा उसमे तोडफोड एवं निर्माण करते हुए उसका स्वरूप ही परिवर्तित कर देंगे, जिससे वादीगण को काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी तथा उसके हितों पर भारी कुठाराघात होगा तथा वह अपनी पुश्तैनी व खरिदशुदा आराजी भूमियों से ही वंचित हो जायेंगे। उसके परिणामस्वरूप वादीगण को जो क्षति कारित होगी उसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना संभव नही हो सकेगा। इस कारण वादी अब अपने संपति संबंधी अधिकारों की रक्षा केवलमात्र माननीय न्यायालय के माध्यम से ही करवा सकता है। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी नंबर 6 व 7 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा प्रकरण एक आवश्यक प्रकृति का प्रकरण है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा प्रकरण [illegible] ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) [illegible] प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी [illegible] वाद मे वर्णित आराजियात में वाद प में वर्णीत हिस्से अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित फरमाई जाकर उक्त आराजियात का मौके पर पक्षकारान के कब्जानुसार बंटवारा करवाया जाकर वाद में वर्णित आराजियात [illegible] वर्णीत हिस्से अनुसार वादीगण का हिस्सा अलग किया जाकर वादीगण को बंटवारे के अनुसरण में उसके हिस्से मे आई आराजियात का मौके पर भी कब्जा दिलाया जावे तथा अलग खाता कायम करवाया जावे तथा अलग से लगान तय किया जावे तथा अलग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

से पासबुक जारी कर मौके पर अलग पाल डोल कायम करवाई जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड भी दुरूस्त करवायी जावे तथा राजस्व मानचित्र तरमीम करवाया जावे तथा इस हेतु प्रतिवादी नंबर 6 को तहरीर जारी की जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूरी, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात मे वादीगण के हक हिस्से में ना तो आवे, ना ही उसमे चले आ रहें वादीगण के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न करे, ना ही उसमे किसी तरह का कोई दखल व/या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कब्जा करे, ना ही वादी को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही बेदखल करे, ना ही कब्जा करने/कराने का प्रयास करे, ना ही उसमे वादीगण को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने/प्राप्त करने से रोके, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण, रद्दोबदल, कारतामीरात आदि ही करे, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करे, ना ही उसमे कोई नुकसान पहुंचावे, ना ही उक्त भूमियों अथवा उसके किसी भाग को बिना बंटवारा करवाये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करे, ना ही बेचान करे, ना ही बेचान का इकरार करे, ना ही कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त करे, ना ही बेचान बाबत किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख निष्पादित करे, ना ही उसे पंजीकृत करावे, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों मे काबिज करवाने का प्रयास करे, ना ही किसी अन्य के नाम कोई नामांतरकरण करवावें तथा ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीगण द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों।प्रतिवादी नंबर 6 व 7 को भी पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 द्वारा स्वयं अथवा मुखत्यार आम अथवा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में बिना बंटवारा करवाये किसी भी आशय का कोई नामांतरकण आवेदन पेश किये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांतरकरण व पंजीयन नही करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने का पेश किया हैं इसके पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 की ओर से श्री भूपैन्द्र सैन व प्रतिवादीगण संख्या 03 से 05 की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला ने वकालतनामा पेश किया हैं। चूकि उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी द्वारा पेश आवश्यक सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नही करने से आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली पेशी पर ली गई। पेश वकालतनामें पत्रावली संलग्न किये गये। इस पर उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर जबाव नहीं देना चाहते एवं प्राथमिक डिक्री जारी करवाने में सहमत हुए। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद में वर्णित खसरा नम्बर का बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं। उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री आदेश जारी किये गये।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/1398 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं।

वकील वादी ने उक्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार दिनांक 01.08.2024 को मौका देखकर बहस करेंगे। न्यायहित में वादी अधिवक्ता को मौका देखने हेतु अवसर दिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा मौका देखा गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कपूरडी पटवार हल्का रायपुर द्वितीय के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :

क्र स	नये खातेदार का नाम	आराजी नम्बर (प्रस्तावित)	क्षेत्रफल हैक्टयर	किस्म
1.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/5 1876/3	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ..
2.	2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/6	0.2250	बा.अ.
3.	4. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/8 1876/4	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.
4.	5. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/4 1876	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.
5.	3. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/7 1876/1	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.
6.	1. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 2. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 3.बुद्धकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4.कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5.श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार	1879	1.2141	बा.अ.
7.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 3. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5जाति- राजपुत सा. देह	1879/9	0.0890	बा.अ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर			
8	1. अंजू कँवर पत्नि भेरू सिंह हिस्सा -1/2 जाति -संख्या राजुपत मकान -01, कॉलोनी बर -, क्षेत्रबर -स्थान/, शहर तहसील रायपुर -, पिन कोड -306304, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार ,2.संतोष कँवर पत्नि प्रमोद सिंह हिस्सा -1/2 जाति -संख्या राजुपत मकान -01, कॉलोनी बर -, क्षेत्र बर -स्थान/, शहर तहसील रायपुर -, पिन कोड -306105, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार	1876/2	0.2120	बा.अ.
9	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2.संतोष कँवर पत्नि प्रमोद सिंह हिस्सा -1/10 जाति राजुपत --मकान संख्या01, कॉलोनी बर -, क्षेत्र बर -स्थान/, शहर -तहसील रायपुर, पिन कोड -306105, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार 3. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 6.अंजूकँवरपत्निभेरूसिंहहिस्सा -1/10 जातिराजुपत मकान --संख्या01, कॉलोनी बर -, क्षेत्रबर -स्थान/, शहरतहसील त -रायपुर, पिन कोड -306304, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार	1876/5	0.0890	बा.अ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

10.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5(पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 3. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 4. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 5. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1987	0.6880	बा.अ.
11.	1. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 2. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 3.बुद्धकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4.कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5.श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंहहिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार	1987/1	0.6879	बा.अ.

बंटवाडा **प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।** वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रायपुर

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
2. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
3. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गणपतसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
2. जब्बरसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
3. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
4. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर जिला ब्यावर
5. भगवतसिंह पुत्र नाहरसिंह नाऔलाद अविवाहित फौत के कायम मुकाम

5.1 बुद्वकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि अभयसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डीया खुर्द तहसील रायपुर जिला ब्यावर

5.1 कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी बीजागुडा तहसील रोजत जिला पाली

5.3 श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि प्रेमसिंह जति राजपूत निवासी गरनीया तहसील जैतारण जिला ब्यावर

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर जिला ब्यावर राज.
7. उप पंजीयन अधिकारी महोदय, रायपुर जिला ब्यावर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 97/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भवानी सिंह सोलंकी वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी एवं श्री भूपैन्द सैन प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (01,02)एवं श्री जसवंत सिंह सांखला प्रतिवादीगण संख्या 03 से 05 मिनजानिब मुदायलाह एवं पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सरहद मौजा कपूरडी पटवार हल्का रायपुर द्वितीय का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र स	नये खातेदार का नाम	आराजी नम्बर (प्रस्तावित)	क्षेत्रफल हैक्टयर	किस्म
1.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/5 1876/3	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ..
2.	2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/6	0.2250	बा.अ.
3.	4. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/[illegible] 1876/[illegible]	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

4.	5. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/4 1876	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.
5.	3. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/7 1876/1	0.2250 0.2120	बा.अ. बा.अ.
6.	1. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 2. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 3.बुद्धकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4.कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5.श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15जाति- राजपुत सा. देह खातेदार	1879	1.2141	बा.अ.
7.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 3. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1879/9	0.0890	बा.अ.
8	2. अंजू कँवर पत्नि भेरू सिंह हिस्सा -1/2 जाति -संख्या राजुपत मकान -01, कॉलोनी बर -, क्षेत्रबर -स्थान/, शहर तहसील रायपुर -, पिन कोड -306304, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार ,2.संतोष कँवर पत्नि प्रमोद सिंह हिस्सा -1/2 जाति -संख्या राजुपत मकान -01, कॉलोनी बर -, क्षेत्र बर -स्थान/, शहर तहसील रायपुर -, पिन कोड -306105, ज़िला -PALI,राज्य -RAJASTHAN खातेदार	1876/2	0.2120	बा.अ.
9	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा- पूर्ण (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2.संतोष कँवर पत्नि प्रमोद सिंह हिस्सा -1/10 जाति राजुपत --मकान संख्या01, कॉलोनी बर -, क्षेत्र बर -स्थान/, शहर -तहसील रायपुर, पिन कोड -306105, ज़िला -PALI,राज्य -	[illegible]/5	0.0890	बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	RAJASTHAN खातेदार 3. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 6.अंजूकँवरपत्निभेरूसिंहहिस्सा -1/10 जातिराजुपत मकान - -संख्या01, कॉलोनी बर -, क्षेत्रबर -स्थान/, शहरहसील त - रायपुर, पिन कोड -306304, ज़िला -PALI,राज्य - RAJASTHAN खातेदार			
10.	1. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5(पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 3. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 4. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर 5. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्णखाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर	1987	0.6880	बा.अ.
11.	1. भगवानसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 2. सुखसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा- 2/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 3.बुद्धकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 4.कैलाशकंवर पुत्री नाहरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार 5.श्रवणकंवर पुत्री नाहरसिंहहिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत	1987/1	0.6879	बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर

	मा. देह खातेदार			

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज........................ ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	04	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	00	00
मुतफरिक –	6	00	मीजान	04	00
मीजान	10	00			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested